राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 2768–73 दिनांक 18.05.2022

:: ई–ऑक्शन कार्यक्रम ::

उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड से प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायत तलेटी के ग्राम तलेटी में पर्यटन की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर उपयुक्त भूमि का चयन किया जाकर ग्राम तलेटी, तहसील आबूरोड के निम्नांकित खसरा नम्बरान की कुल किता 74 कुल रकबा 86.7452 हैक्टेयर भूमि को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 7337–44 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ आरक्षित घोषित किया गया है। उक्त आरक्षित की गई भूमि में से खसरावार भूखण्डों की औद्योगिक (पर्यटन इकाई) प्रयोजनार्थ नीलामी ई–ऑक्शन द्वारा की जाएगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा तलेटी, ग्राम पंचायत तलेटी, पटवार हल्का जाम्बूडी, तहसील आबूरोड							
क्र. सं.	नीलामी का प्रयोजन	भूखण्ड का खसरा नंबर	किस्म	भूखण्ड का कुल रकबा (हैक्टेयर में)	अमानत राशि	बोली प्रारम्भ करने की दर (रूपये में)	नीलामी दिनांक
1	औद्योगिक प्रयोजन इकाई की स्थापना हेतु	358	गै.मु.मगरी	2.0485	बजट होटल एवं एक सितारा से तीन सितारा होटल, चार सितारा होटल तथा पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल की स्थापना हेतु भूमि के आरक्षित मूल्य अर्थात् कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 15 प्रतिशत राशि एवं अन्य पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 50 प्रतिशत राशि	217182	15 जून से 07 जुलाई, 2022 तक
2		342	गै.मु.मगरी	0.0759		8047	
3		344	गै.मु.मगरी	0.0506		5365	
4		371	बारानी–2	0.4299		45578	
5		361	गै.मु.मगरी	0.2150		22794	
6		366	गै.मु.मगरी	0.4679		49607	
7		377	गै.मु.मगरी	0.0759		8047	
8		332	गै.मु.मगरी	0.0885		9383	
9		334	गै.मु.मगरी	2.0738		219864	
10		267	गै.मु.मगरी	1.5933		168922	
11		266	गै.मु.मगरी	0.2655		28148	
12		314	गै.मु.मगरी	1.1001		116633	
13		316	गै.मु.मगरी	0.3794		40224	
14		318	गै.मु.मगरी	0.1012		10729	
15		404	गै.मु.मगरी	3.6038		382075	
16		405	गै.मु.मगरी	5.1212		542950	
17		410	गै.मु.मगरी	0.5058		53625	
18		426	बारानी–2	0.1391		14747	
19		427	बारानी–2	0.1391		14747	
20		428	बारानी–2	0.1265		13412	
21		429	गै.मु.मगरी	0.3794		40224	
22		175	गै.मु.मगरी	0.1012		10729	
23		188	गै.मु.मगरी	0.2403		25477	
24		476/1	गै.मु.मगरी	0.4046		42896	
25		477	गै.मु.मगरी	0.2908		30831	
26		480	गै.मु.मगरी	0.5817		61672	
27		1128	गै.मु.मगरी	0.3541		37542	
28		1142/2	गै.मु.मगरी	0.0506		5365	
29		1143/2	गै.मु.मगरी	0.1517		16083	

30	औद्योगिक प्रयोजन इकाई की स्थापना हेतु	1139	गै.मु.मगरी	1.9853	बजट होटल एवं एक सितारा से तीन सितारा होटल, चार सितारा होटल तथा पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल की स्थापना हेतु भूमि के आरक्षित मूल्य अर्थात् कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 15 प्रतिशत राशि एवं अन्य पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 50 प्रतिशत राशि	210482	15 जून से 07 जुलाई, 2022 तक
31		1158	गै.मु.मगरी	1.6691		176958	
32		1159	गै.मु.मगरी	0.2782		29495	
33		863/2	गै.मु.मगरी	2.8831		305666	
34		1258	गै.मु.मगरी	1.9473		206453	
35		1184/2	गै.मु.मगरी	0.1265		13412	
36		1259	गै.मु.मगरी	0.4046		42896	
37		1260	गै.मु.मगरी	2.2129		234612	
38		1383	गै.मु.मगरी	1.5933		168922	
39		1388	गै.मु.मगरी	0.1517		16083	
40		1389	गै.मु.मगरी	1.2139		128698	
41		1431	गै.मु.पत्थर	0.1517		16083	
42		1435	गै.मु.मगरी	0.0632		6700	
43		1393	गै.मु.मगरी	0.3541		37542	
44		1379	गै.मु.मगरी	8.6871		921006	
45		1471	गै.मु.मगरी	9.8884		1048368	
46		1407	बंजर	0.0379		4018	
47		1408	गै.मु.मगरी	0.4426		46924	
48		1411	बारानी–1	0.0632		6700	
49		1474	गै.मु.मगरी	1.7956		190370	
50		1467	गै.मु.मगरी	0.1265		13412	
51		1460	गै.मु.मगरी	0.2529		26812	
52		1458	गै.मु.मगरी	0.0506		5365	
53		1405	बंजर	0.1644		17430	
54		1344	गै.मु.मगरी	0.1138		12065	
55		1345	गै.मु.मगरी	0.0253		2682	
56		1347	गै.मु.मगरी	0.4173		44242	
57		1349	गै.मु.मगरी	0.0632		6700	
58		1351	गै.मु.पत्थर	0.0632		6700	
59		1371	गै.मु.मगरी	1.9600		207799	
60		1373	गै.मु.मगरी	0.6070		64354	
61		1375	गै.मु.मगरी	0.6575		69708	
62		1321	गै.मु.पत्थर	0.0379		4018	
63		1322	गै.मु.मगरी	0.9737		103232	
64		1325/2	गै.मु.मगरी	0.0885		9383	
65		590	गै.मु. खालखद्दर	0.8219		87138	
66		591	बारानी–1	0.7208		76419	
67		592	गै.मु. खालखद्दर	0.9737		103232	
68		1503/686	गै.मु.मगरी	11.1782		1185113	
69		701/2	गै.मु.मगरी	1.5680		166239	
70		878	गै.मु.मगरी	0.3794		40224	
71		894	गै.मु.मगरी	4.5016		477260	
72		862/1	गै.मु.मगरी	1.7703		187687	
73		1521/1053	गै.मु.मगरी	2.0106		213164	
74		1050/2	बंजर	0.1138		12065	
कुल योग		किता–74	–	**86.7452**	–	–	–

अतः उक्त आरक्षित की गई भूमि को राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3 ख के तहत पर्यटन इकाईयों के लिए आवंटन हेतु बोलियां आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदनकर्ता राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3 ख में पर्यटन इकाई हेतु वर्णित प्रवर्ग अनुसार न्यूनतम तथा अधिकतम भूमि क्षेत्र* को ध्यान में रखते हुए वांछित प्रवर्ग की पर्यटन इकाई हेतु प्रस्तावित भूमि के विवरण सहित दिनांक 15 जून से 07 जुलाई, 2022 तक निम्नांकित शर्तों पर ई–ऑक्शन में भाग ले सकेंगे :–

शर्तें:–

1. पर्यटन इकाई के लिए पृथक और आरक्षित की गयी भूमि के आवंटन के लिए आरक्षित कीमत राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के अधीन जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के लिये सिफारिश की गयी दरों के समतुल्य होगी। उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड के अनुसार उक्त कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर 106020/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, जो निलामी हेतु आरक्षित दर होगी।
2. किसी एक या एक से अधिक खसरों के लिये एक से अधिक बोलियां प्राप्त होने की दशा में, भूमि का आवंटन प्रतियोगी बोली के माध्यम से किया जायेगा। यदि किसी एक या एक से अधिक खसरों के लिये केवल एक ही बोली प्राप्त होती है, तो भूमि का आवंटन, वर्तमान आरक्षित कीमत या बोली लगाने वाले द्वारा प्रतिस्थापित कीमत, इनमें से जो भी अधिक हो, पर एक मात्र बोली लगाने वाले को किया जायेगा।
3. बोली में भाग लेने हेतु पात्रता निम्नानुसार रहेगी:–

क्र. सं.	वर्ग	न्यूनतम/अधिकतम भू क्षेत्र	न्यूनतम वार्षिक कारोबार (annual turnover)	न्यूनतम net worth
1	बजट होटल व एक से तीन सितारा होटल	1200 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक	लागू नहीं	लागू नहीं
2	चार सितारा होटल	6000 वर्गमीटर से 12000 वर्गमीटर तक	लागू नहीं	लागू नहीं
3	पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल	18000 वर्गमीटर से 40000 वर्गमीटर तक	लागू नहीं	लागू नहीं
4	अन्य पर्यटन इकाई	40000 वर्गमीटर से अधिक	रूपये 25 करोड	रूपये 12.5 करोड

4. बजट होटल एवं एक सितारा से तीन सितारा होटल, चार सितारा होटल तथा पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदातओं को रूपये 5000/– एवं अन्य पर्यटन इकाई की स्थपना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को 1,00,000/– रूपये बतौर पंजीकरण शुल्क जमा कराना होगा, जो बोलीदाता को वापस नहीं किया जायेगा। यह राशि बोली आरम्भ होने से पूर्व नगद या ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।
5. बजट होटल एवं एक सितारा से तीन सितारा होटल, चार सितारा होटल तथा पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को बोली शुरू होने से पूर्व भूमि के आरक्षित मूल्य अर्थात् कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 15 प्रतिशत राशि एवं अन्य पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 50 प्रतिशत राशि अमानत के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि उच्चतम बोलीदाता के नाम से बोली छूटने पर भूखण्ड की कीमत में समायोजित कर ली जायेगी तथा अन्य व्यक्तियों को अमानता राशि मौके पर ही लौटा दी जावेगी।

6. नाबालिग अथवा नाबालिग के नाम से किसी बोलीदाता को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा।
7. यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है, तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोलीदाता के नाम उच्चतम बोली छूटती है, कब्जापत्र/लीजडीड उसी के नाम जारी किया जावेगा।
8. नीलामी के समय नीलामी समिति को यदि ऐसा अनुमत हो कि बोली दर उचित प्राप्त नहीं हो रही है अथवा नीलामी ठीक ढंग से नहीं चल रही है, तो मौके पर ही नीलामी को अस्वीकार कर नीलामी स्थगित कर सकती है।
9. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूखण्ड के मूल्य का, उसके द्वारा पूर्व में भूमि कीमत पेटे जमा कराई गई राशि घटाने के पश्चात् शेष रही राशि का 10 प्रतिशत बोली की स्वीकृति दिनांक से 72 घण्टे के भीतर जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। शेष राशि नीलामी की पुष्टि पत्र (मांग पत्र) जारी करने की 30 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी।
10. भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा होने पर क्रेता का भूखण्ड जैसा है वैसे के आधार पर हस्तान्तारेत होगा। हस्तान्तरित भूखण्ड पर आने–जाने हेतु रास्ते की एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं क्रेता को स्वयं अपने स्तर से विद्यमान नियमों/प्रावधानों के अध्याधीन करनी होगी, जिसका समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा। भूखण्ड की माप में मौके की स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। क्रेता को मौके पर जो कब्जा दिया जायेगा, वही मान्य होगा।
11. यदि आवंटित भूखण्ड/खसरे से किसी अन्य भूखण्ड/खसरे में आने–जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है या किसी अन्य भूखण्डधारी द्वारा उक्त आवंटित भूखण्ड/खसरे से रास्ते की मांग की जाती है, तो आवंटी नियमानुसार आवश्यक चौडाई का रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु सदैव बाध्य रहेगा तथा उक्त रास्ते हेतु आवंटी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी किसी अन्य भूमि या मुआवजे की मांग नहीं करेगा।
12. लीज डीड रजिस्ट्रेशन आदि का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
13. भूखण्ड का उपयोग केवल पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा।
14. भूखण्ड की लीजडीड का निष्पादन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार होगा तथा पट्टेदार को वार्षिक किरायां नियमानुसार अदा करना होगा। लीज डीड पंजीकृत कराये जाने से पूर्व या बाद में क्रेता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो जिला कलक्टर कार्यालय को भूखण्ड को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उक्त भूमि सन्निर्माणों सहित प्रतिकर के किसी दावे के बिना राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी।
15. आवेदनकर्ता द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त भूमि संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु तहसील कार्यालय, आबूरोड से कार्यालय समय में संपर्क कर भूमि की स्थिति/मौके की जानकारी ली जा सकती है अथवा विभागीय वेबसाईट https://bhunaksha.raj.nic.in से संबंधित खसरे का मानचित्र/विवरण का अवलोकन किया जा सकता है।
16. नीलामी हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों का अवलोकन किये जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है, कि पर्यटन इकाई हेतु किसी खसरे (जो रकबे में काफी बडा है) के आंशिक भाग के आवंटन हेतु ही बोली प्राप्त हुई है या सम्पूर्ण रकबे हेतु समस्त आवेदनों को

सम्मिलित किये जाने के पश्चात् भी उस खसरे का कुछ भाग निलामी से शेष रहता है, तो ऐसे खसरे की निलामी नहीं की जा सकेगी। अर्थात् प्रत्येक परिस्थिति में सम्पूर्ण खसरे की भूमि ही निलामी की कार्यवाही की जायेगी, किसी भी खसरे के आधे हिस्से या आंशिक हिस्से की निलामी नहीं की जायेगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पूर्व खसरों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावें कि पर्यटन इकाई के किसी भी एक प्रवर्ग हेतु प्रस्तुत आवेदन में वर्णित एक से अधिक खसरे होने की स्थिति में सभी खसरे एक दूसरे की सीमाओं से लगे हुए होने पर अर्थात् एक चक के रूप में होने पर ही बोली/आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। एक से अधिक खसरों के चयन पर यदि चयनित खसरे एक दूसरे से दूर है, तो उस बोली/आवेदन को अस्वीकार किया जा सकेगा।
18. यदि एक से अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा पर्यटन इकाई के एक ही प्रवर्ग या अलग–अलग प्रवर्ग हेतु चयनित खसरों की सूची में कोई एक या अधिक खसरें कॉमन रूप से (सभी आवेदनों में अंकित होने पर) चयन किये जाने पर उस खसरे की भूमि सबसे अधिक बोलीकर्ता वाले आवेदक को आवंटित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
19. इस नियम के अधीन आवंटित भूमि, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम, 3(ख) के बिन्दू संख्या 3(ग) में वर्णित समय सीमा के भीतर, पर्यटन इकाई की स्थापना के लिये उपयोग में ली जायेगी। परन्तु उपर्युक्त कालावधि, समुचित मामलों में, विहित प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष की कालावधि के लिए और बढ़ायी जा सकेगी। यदि भूमि ऐसी बढी हुई कालावधि के भीतर उपयोग में नही ली जाती है, तो सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, आवंटन वापस ले लिया जायेगा। आवंटित भूखण्ड पर निर्माण संबंधित प्रवर्ग के अनुरूप निकटस्थ स्थानीय निकायों की उप विधियों एवं पर्यटन विभाग की उप विधियों के अनुसार करवाना होगा।
20. इस नियम के अधीन आवंटित भूमि, कम से कम 30 वर्ष की कालावधि के लिए, केवल पर्यटन इकाई के प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।
21. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
22. भूमि का आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित शर्तों पर किया जायेगा।

* परन्तु यह कि उपर वर्णित अधिकतम भूमि क्षेत्र के उपबन्ध पर्यटन इकाइयों के निम्नलिखित प्रवर्गों के मामले में लागू नहीं होंगे:–

(क) राजस्थान पर्यटन इकाई पॉलिसी, 2007 के अधीन सरकारी भूमि के आवंटन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित वे पर्यटन परियोजना; या

(ख) वे पर्यटन इकाई परियोजनाएं जिनके लिए सरकारी भूमि के आवंटन के लिए रिसर्जेन्ट राजस्थान, 2015 के तत्वाधान के अधीन मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित हुए है।

ई–नीलामी हेतु सामान्य शर्तें:–

1. रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, पहचान पत्र अपलोड करने की कार्यवाही दिनांक 24.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे से नीलामी तिथी से एक दिवस पूर्व तक सायं 5.00 बजे तक की जा सकती है।
2. ऑनलाईन निलामी निर्धारित समय दिनांक सारणी अनुसार प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होकर दिनांक सारणी अनुसार सायं 04.00 बजे तक की जा सकती है।

3. प्राप्त ऑनलाईन बिड पर निलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जिला कलक्टर कार्यालय/न्यास कार्यालय में की जावेगी।
4. ई-ऑक्शन हेतु वेबसाईट :– https://urban.rajasthan.gov.in/uit-abu ---------- पर बोली लगा सकते है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु एवं अमानत राशि की रिफण्ड की जानकारी हेतु कार्यालय समय में जिला कलक्टर कार्यालय/न्यास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मोबाईल नम्बर .....

ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आपको निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी

01. सर्वप्रथम SSO-ID बनानी है जो भामाशाह कार्ड/Gmail/फेसबुक में से किसी एक के माध्यम से बनाई जा सकती है।
02. SSO-ID लॉगइन करने के बाद SSO.gov.in की urban service पर E-Auction सेवा के लिए Subscribe पर Click करें।
03. E-Auction Logo के Process पर Click कर जिस भी Property के लिए Bidding करनी है उस पर Click कर आवश्यक पूर्तियाँ करें।
04. अमानत राशि जमा कराने के लिए Refund Account तैयार करना होगा, जिसके लिए Refund Account विकल्प पर Account Entry कर Passbook copy या Cancelled Cheque Upload करें।
05. सामान्यतः Refund Account की स्वीकृति में 1 घण्टे से 6 घण्टे का समय लगता है। Refund Account स्वीकृत होने के पश्चात अमानत राशि जमा करा सकते है।
06. EMD जमा कराने के लिए NEFT, Credit Card/Debit Card व Net Banking का प्रयोग किया जा सकता है।
07. किसी कारणवश सॉफ्टवेयर द्वारा अमानत राशि जमा कराने की प्रक्रिया पूर्ण होने में कठिनाई आने पर जिला कलक्टर कार्यालय/न्यास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
08. Bidding Date के दिन दिये गये निर्देशों के अनुसार जो Property क्रय करनी है उसकी बोली लगाये। अन्य बोलीदाताओं द्वारा भी बोली लगाई जाने पर आपको बोली Screen पर दिखाई देगी एवं आप इच्छानुसार बोली बढा सकते है।

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/प.12(3)(66)राजस्व/2020/2768-73 दिनांक 18.05.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निर्देशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु जरिये ईमेल director.tourism@rajasthan.gov.in पर प्रेषित है।
2. उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड।
3. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जिला कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत को भेजकर लेख है कि विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय करते हुए उक्त विज्ञप्ति को पर्यटन विभाग, जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. तहसीलदार, आबूरोड को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर, सिरोही